# न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी बाड़मेर

पीठासीन अधिकारी नाथूसिंह राठौड़ आर ए एस

राजस्व अपील / 223 / रा.का.अधि. / 16 / 2014 / बाड़मेर

अपीलांट

1. गंगाराम पुत्र चन्दा उम्र 45 वर्ष
2. घेवरचन्द पुत्र चंदा उम्र 40 वर्ष
   जाति दर्जी निवासी मौखाब कला तहसील शिव जिला बाड़मेर।

बनाम

रेस्पोडेंटगण

1.नाथुराम पुत्र श्री मंगलाराम उम्र 82
2.भूराराम पुत्र मंगलाराम उम्र 72 वर्ष
3.खुमाणाराम पुत्र मंगलाराम उम्र 59 वर्ष
4.रेवंताराम पुत्र मंगलाराम उम्र 52 वर्ष
5.भंवराराम पुत्र चन्दा उम्र 47 वर्ष
6.भूराराम पुत्र चन्दा उम्र 42 वर्ष
7.नारणाराम पुत्र पदमाराम उम्र 39 वर्ष
8.मुकेश कुमार पुत्र पदमाराम उम्र 32 वर्ष
9.जुगताराम पुत्र पदमाराम उम्र 27 वर्ष
10.श्रीमती धन्नीदेवी पत्नी पदमाराम उम्र 62 वर्ष
11.माणका पुत्र बींजाराम उम्र 52 वर्ष
12.मांगीलाल पुत्र बींजाराम उम्र 47 वर्ष
जाति दर्जी निवासी मौखाव कला तहसील शिव जिला बाड़मेर
13.श्रीमान तहसीलदार शिव।

**अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्ध सहायक कलक्टर शिव द्वारा राजस्व वाद संख्या 182/2011 बअनवान नाथुराम बनाम भंवराराम में पारित आदेश दिनांक 22.03.2012 व 06.07.2012 के विरूद्ध पेश हुई।**

उपस्थिति

1. वकील श्री बालाराम गोदारा अपीलान्ट की ओर से।
2. रेस्पोडेंट बावजूद सूचना अनुपस्थिति ।

राजस्व अपील अधिकारी बाड़मेर

## निर्णय

दिनांकः— **26.11.2019**

अपील के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि अपीलांट व उतरदातागण संख्या 01 से 12 की संयुक्त खातेदारी की भूमि मौजा मौखाब कला के खसरा संख्या 108, 201, 190, 98, 210 रकबा क्रमशः 104.13 बीघा किस्म बारानी चारम, रकबा 17.19 बीघा किस्म बारानी चारम, रकबा 56.18 बीघा किस्म बारानी चारम तथा रकबा 76.15 बीघा किस्म बारानी सोयम के आये हुए है। वादग्रस्त आराजी के सम्बन्ध में उतरदाता संख्या 01 से 04 द्वारा राजस्व वाद संख्या 182/2011 संस्थित कर अन्य उतरदातागण के साथ दुरभीसंधी करके उक्त वाद में तामिल कुनिंदा से मिलीभगत करके अपीलांट के फर्जी तौर से नोटिस तामिल करवाकर उक्त वादग्रस्त आराजी की बेशकीमती जमीन बंटवाड़ा में स्वयं के नाम करवा ली व अपीलांट के हिस्से में अनउपजाऊ व निम्नगुणवता की जमीन का एकतरफा विभाजन प्रस्ताव तहसीलदर शिव द्वारा स्वयं मौके पर नहीं जाकर पटवारी हल्का व आर आई द्वारा तैयार कर

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

Scanned by CamScanner

अधीनस्थ न्यायालय में पेश किया गया जबकि विभाजन का प्रस्ताव भूमिधारक स्वयं द्वारा मौके पर जाकर ऐसे विभाजन प्रस्ताव तैयार करने का दिन निश्चित कर वाद प्रकरण के पक्षकारों/सहखातेदारों को लिखित सूचना इस आशय की देगा कि उक्त कृषि भूमि का बाई मीटस एण्ड बाउण्ड बंटवाड़ा तकासमा किया जाना है जबकि हस्तगत प्रकरण में ऐसा कुछ भी नहीं हुआ और एक ही जगह बैठकर कागजी कार्यवाही कर बिना अपीलकर्ता को सूचना दिये ही विभाजन प्रस्ताव हल्का पटवारी द्वारा बिना अपीलकर्ता को सुनवाई एवं साक्ष्य सबूत का अवसर दिये तैयार किया गया जिसके आधार पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय व डिक्री पारित की गई जो अपास्त किये जाने योग्य है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा बिना विधिक प्रक्रिया अपनाये ही विधि के सुस्थापित सिद्धांतों के विपरीत जाकर अपीलाधीन निर्णय व डिक्री पारित की गई जो प्राकृतिक न्याय सिद्धांत के खिलाफ है जो काबिल निरस्त योग्य है।

पत्रावली दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेंट को जरिये सम्मन तलब किया गया एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई। दोनों विद्वान अधिवक्ताओं की पत्रावली पर बहस सुनी गई।

वकील अपीलांट ने अपनी लिखित एवं मौखिक बहस में बताया कि अपीलाधीन निर्णय व डिक्री एकपक्षीय पारित किया गया है। अपीलांट को सुने बिना निर्णय पारित किया गया है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम (राजस्व मण्डल) 1955 की नियम 18 से 21 की पालना नहीं की गई है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट को सुनवाई एवं साक्ष्य सबूत पेश करने का समुचित अवसर नहीं दिया गया। अपीलांट को विभाजन प्रस्ताव तैयार करते वक्त किसी प्रकार की सूचना एवं नोटिस नहीं दिया गया है। अपीलाधीन विभाजन प्रस्ताव तहसीलदार स्वयं द्वारा मौके पर जाकर तैयार नहीं किया गया है जबकि विभाजन के मामले में तहसीलदार स्वयं द्वारा विभाजन प्रस्ताव तैयार करना आवश्यक है। अपीलाधीन विभाजन प्रस्ताव पर अपीलांट से आपत्ति लिये बिना ही अधीनस्थ न्यायालय द्वारा बिना विधिक प्रक्रिया अपनाये ही विधि के सुस्थापित सिद्धांतों के विपरीत जाकर अपीलाधीन निर्णय व डिक्री पारित की गई जो प्राकृतिक न्याय सिद्धांत के खिलाफ है। यह बंटवारा By Metes & Bounds के आधार पर नहीं किया गया है। अतः अपीलांट की अपील स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय खारिज फरमाया जावे।

सर्वप्रथम धारा 5 लिमिटेशन के प्रार्थना–पत्र पर निर्णय करना उचित होगा। वकील अपीलांट ने धारा 5 लिमिटेशन के प्रार्थना–पत्र पर बहस करते हुए बताया

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर



Scanned by CamScanner

कि अपीलाधीन निर्णय एकपक्षीय पारित किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय में अपीलांट को एकतरफा विभाजन प्रस्ताव पर उजर एतराज का अवसर दिये बिना ही अपीलाधीन निर्णय पारित कर दिया गया। अरसा 15 दिन पूर्व वादीगण द्वारा उक्त वादग्रस्त आराजी खसरों का नाप करवाने हेतु मौके पर अपीलांट के कब्जे वाली भूमि में दखलंदाजी शुरू की व अपीलांट को बेदखल करने का प्रयास करने लगे तब अपीलांट ने उनसे इसका कारण पूछा तो उतरदातागण संख्या 01 से 04 ने उक्त वादग्रस्त आराजी का एकतरफा निर्णय व डिक्री अपने पक्ष में जारी करवाने की बात की तब अपीलांट ने अपने अधिवक्ता से संपर्क कर अपीलाधीन निर्णय व डिक्री की नकले मांगी जो दिनांक 25.02.2014 को प्राप्त हुई तब सर्वप्रथम जानकारी हुई तथा वास्तविक ज्ञान की तारिख से अपील अन्दर मियाद पेश है। अपील पेश करने में हुआ विलंब सद्भाविक है अतः अपील अन्दर मियाद शुमार की जावे।

अधिवक्ता अपीलांट की बहस पर मनन करने के पश्चात न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांटगण के नाम जारी नोटिस की फर्द पर तामिल की रिपोर्ट स्पष्ट रूप से प्रतिवेदित है अपीलांट संख्या 01 का सम्मन लेने से इंकार रिपोर्ट सहित प्राप्त हुआ जिसमें दो मौतबिरान के हस्ताक्षर/अंगुष्ठ है जिसमें अपीलांट संख्या 02 स्वयं मौतबिरान है। अपीलांट संख्या 02 का सम्मन स्वयं द्वारा तामील है। अपीलांट द्वारा की गई देरी सदभाविक नहीं है। अपीलांट द्वारा पेश धारा 05 मियाद अधिनियम के प्रार्थना–पत्र में कहीं पर इस बात का उल्लेख नहीं किया गया है कि अपीलांटगण अपीलाधीन आदेश की जानकारी कैसे हुई। अपीलांट द्वारा अपील तकरीबन $1^{3/4}$ साल की देरी के बाद पेश की गई जबकि इतनी सुदीर्घ अवधि को Explain भी नहीं किया गया। अतः अपील को मियाद बाहर करने के आदेश दिये जाते है। चूंकि पत्रावली पर मैरिट की बहस भी सुनी जा चुकी है। अतः पत्रावली पर निर्णय मैरिट पर भी करना न्यायालय उचित समझता है।

पत्रावली का अवलोकन व विद्वान उभयपक्ष के अधिवक्ताओं की बहस पर मनन करने के पश्चात यह तथ्य प्रकट हुआ कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांटगण को सुनवाई का समुचित अवसर दिया गया जानबुझकर न्यायालय में उपस्थिति नहीं हुए। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांटगण के नाम जारी सम्मन की पर्याप्त रूप से तामील की रिपोर्ट प्रतिवेदित है। विभाजन प्रस्ताव बाकायदा भूमिधारक (तहसीलदार) शिव स्वयं ने मौके पर जाकर अपनी उपस्थिति में नियमानुसार भूमि की गुणवता, स्थायी अलामात/कब्जे/मार्ग को मद्देनजर रखते हुए उभयपक्ष की मौजूदगी में बनाया जाकर पेश हुआ, जिस पर दिनांक 06.07.2012 को अंतिम डिक्री

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

Scanned by CamScanner

जारी की गई। मौका फर्द दिनांक 17.06.2012 के संलग्न तहसीलदार शिव द्वारा सत्यापित हस्ताक्षर युक्त रंगीन नक्शा पेश किया गया है। **अपीलांटगण येन–केन प्रकारेण मामले में अवरोध डालकर इसे अनावश्यक चुनौती देने की मंशा रखते है: और वे न्यायालय में सदभावना के साथ स्वच्छ हाथों से नहीं आए हैं।** अपीलांटगण के इस अनावश्यक आपत्तिपूर्ण रवैये का कोई अंत भी नजर नहीं आता है। अपीलाधीन निर्णय विधिसम्मत एवं नियमानुसार By metes & Bounds तैयार किये गए तहसीलदार शिव से प्राप्त विभाजन प्रस्ताव पर पारित किया गया है जिसमें किसी भी प्रकार की विधिक त्रुटि दृष्टिगोचर नहीं होती। लिहाजा अपील अपीलांट खारिज करने योग्य है।

अतः अपील अपीलांट सारहीन होने से खारिज की जाती है एवं अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर शिव द्वारा राजस्व वाद संख्या 182/2011 बअनवान नाथुराम बनाम भंवराराम में पारित आदेश दिनांक 22.03.2012 व 06.07.2012 को यथावत रखा जाता है।

राजस्व अपील अधिकारी बाड़मेर

22/11/19

(नाथूसिंह सदौड़)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

यह आदेश आज दिनांक 26.11.2019 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

22/11/19

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

Scanned by CamScanner